

सक्षम योजना

सक्षम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा संचालित एक योजना है, जिसे एआईसीटीसी द्वारा तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सक्षम युवाओं को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए लागू किया गया है। यह दिव्यांग युवा को अपनी शिक्षा जारी रखने और एक सफल भविष्य की तैयारी करने का अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की कुल संख्या 1000 है। (डिग्री के लिए 500 और डिप्लोमा के लिए 500)
- यदि कोई पात्र आवेदक डिग्री/डिप्लोमा स्तर के किसी भी कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं है, तो डिग्री और डिप्लोमा के लिए छात्रवृत्ति हस्तांतरणीय हैं।
- उम्मीदवारों का चयन एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्थान से संबंधित तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा डिग्री हासिल करने के लिए योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

छात्रवृत्ति की राशि

- प्रत्येक वर्ष, एक शिक्षण शुल्क रु. 30,000/- या वास्तविक राशि, जो भी कम हो, साथ ही आकस्मिक व्यय रु. 2000/- हर महीने दस महीने के लिए।
- शिक्षण शुल्क माफी/प्रतिपूर्ति की स्थिति में, छात्र रुपये प्राप्त करने के पात्र हैं। 30000 पुस्तक/उपकरण/सॉफ्टवेयर/लैपटॉप/डेस्कटॉप/वाहन/प्रतियोगिता परीक्षा आवेदन पत्र/परीक्षा/विशिष्ट उपकरण/दृष्टिबाधित/भाषण और श्रवण विकलांगों के लिए भुगतान किए गए शुल्क की खरीद के लिए। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 7.5 प्रतिशत और ओबीसी उम्मीदवारों/आवेदकों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण।

पात्रता

- उम्मीदवार को राज्य/केंद्र सरकार की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित वर्ष में किसी भी एआईसीटीई-अनुमोदित संस्थान में डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जाना चाहिए।
- दिव्यांग छात्र वह है माना जायेगा जिसकी कम से कम 40% विकलांगता है।
- वार्षिक पारिवारिक आय रु. पिछले वित्तीय वर्ष में 8 लाख (एक विवाहित महिला की स्थिति में, उसके माता-पिता या ससुराल वालों की आय, जो भी अधिक हो, को ध्यान में रखा जाएगा) से कम।
- यदि पहले कोई छात्रवृत्ति (राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित) नहीं ली हो।



